# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/03/2024 | रजू दिनांकः 05.01.2024 | रजि0 न0 2024/3

**अपीलार्थीः–**

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्भूदयाल सैनी, निवासी मौहल्ला खोहरा, स्कीम नं0 7 अलवर, जिला अलवर–301001 (राजस्थान)

**प्रत्यर्थीः–**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 13.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक नविवि/आर0टी0आई0/2024/11302 दिनांक 12.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वांछित सूचना सृजनात्मक है जो कि आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 2(एफ)(आई) के तहत देय नहीं है जिसकी सूचना न्यास कार्यालय के पत्रांक 9402 दिनांक 01.11.2023 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब मय संलग्न पत्र दिनांक 01.11.23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)